PV

T.D.R. के P.D. पालना प्राप्त किये – 5.3.24

2020/00069

T.D.R. मे P.D. पालनार्थ प्राप्त दि० 26.2.24

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
53 R.T.A.	30/20	23.9.2020	16/7/24 फैसला	~~26/7/24~~ 16/7/24

अनवान

श्री मदनलाल S/o होकमी चन्द धाकड़ श्री कजोड़ी W/o माधु धाकड़

निवासी बेरीसाल निवासी बेरी स्याल

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री O.P. शर्मा श्री ....

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की में जारी हु
.9.2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 10/11/2020 को वास्ते तलबी/जुवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/11/20	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी गणों की सम्मन बाद तामिलें प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। श्रीमान P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त होने से कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते गौर तलबी दि. 8/12/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	
8/12/20	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी चुनाव में व्यस्त उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5.1.2021 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/1/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते गौर तलबी दि. 31.3.21 को पेश हो।	
31/3/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22.4.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

22/4/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् कोरोना काल पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27.5.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
27/5/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे कोरोना काल पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 8.7.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
8/7/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे कोरोना काल पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12.8.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
12/8/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2.9.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
2/9/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21.10.21 को वास्ते गौरतलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
28/10/21	पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 21.12.21 को वास्ते गौर तलबी पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
21/12/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18.1.22 को वास्ते गौर तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
18.1.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 22.3.22 को वास्ते गौर तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
22.3.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में सम्मन बाद तामिल नोटिस प्रेव में प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते अधिका...

अदालत उपखण्ड...

मुकदमा 53...

तारीख हुक्म	
...22	पत्रावली पेश हुइ। ... उपस्थित श्रीमान् P... दिनांक 17/5/2...
...2	पत्रावली पेश हुइ... उपस्थित श्रीमान् ... दिनांक 19/7/2...
22	पत्रावली पेश ... उपस्थित श्रीमा... दिनांक 23/8...
22	पत्रावली पेश हुइ... उपस्थित श्रीमान् ... दिनांक 11/10/22...
22	पत्रावली पेश हुइ... उपस्थित श्रीमान् ... दिनांक 6.12.22...
2	पत्रावली प... उपस्थित श्री...

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

सदरहीट बनाम कजोड़ी

मुकदमा 53 RTA नं. 30/20 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.../22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/5/22 को वास्ते अधि. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
.../5/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 19/7/22 को वास्ते अधि. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
.../7/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/8/22 को वास्ते अधि. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
.../8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/10/22 को वास्ते अ. पत्र. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
....22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6.12.22 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
....22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17.1.23 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

171
23

पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/... उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। ... दिनांक 21.2.23 को वास्ते अ. प.मा ...

उप खण्ड अधिकारी

21/2/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभा... उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर ... दिनांक 28/3/23 को वास्ते अ. प. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

28/3/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादीगणों को तीन बार आवाज लगाई गई प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश/कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 3/5/23 को पेश हो।

3/5/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 7/6/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

7/6/23 पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। वादी स. 1 मदनलाल के बयान हुये। वादी और कोई गवाह पेश नहीं करना चाहता है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व मे ही एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित हो चुका है। पत्रावली मे ~~...~~ बहस सुनी गई। रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। पत्रावली वास्ते P.d. पालना हेतु तहसीलदार भिजो लिखें

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को भिजवाये जावे। पत्रावली देखने प्रारम्भिक डिक्री पालना हेतु दिनांक 04/07/2023 को पेश हो।	
4/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली आगामी दिनांक 12/12/23 को पेश हो।	
12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/1/24 को वास्त पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
1/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली आगामी दिनांक 16/01/24 को पेश हो।	
1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/2/24 को वास्त पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते P.D. पालना प्र: तहसीलदार बिजौलिया को भेजी जावे। पत्रावली वास्ते P.D. पालना आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो	
5/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्त P.D. पा. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

16/4/2024	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते P.D.P.D. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
15/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते PD पत्रा. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
5/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते PD पा. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
26/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते PD पा. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी तहसीलदार बिजौलिया से पालना रिपोर्ट प्राप्त।
10/7/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय 16/7/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं आदेश खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में डिक्री मुर्तिब की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 30/2020 दायर दिनांक 23.09.2020

अनवान

1. मदनलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शम्भुलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. जगदीश पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. कजोड़ी पत्नि माधू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मांगीबाई पुत्री माधू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रबन्धक महोदय भी.अ.क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा – विद्वान अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :16/07/2024

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 07/06/2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलिया में स्थित आराजी नं0 366 रकबा 8–15 बीघा कुल किता 1 रकबा 8–15 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सामलाती खातेदार हैं। वादीगण के 1/2 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2023/262 दिनांक 22.02.2024 को प्रस्तुत किये। संलग्न पत्रावली है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
01	जगदीश मदनलाल भंवरलाल शंभूलाल पिता होकमीचन्द धाकड़ सा. बेरीसाल रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियां	बेरीसाल	366 / 1	0.7082
	योग		किता 1	**0.7082**
02	मांगीबाई पुत्री माधु कजोडी पत्नी स्व. माधु धाकड़ सा. बेरीसाल रहन भी.अ.क्षे.ग्रा. बैंक शाखा सलावटियां	बेरीसाल	366 / 2	0.7082
	योग		किता 01	**0.7082**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 16 /07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखंण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 30 / 2020

दायर दिनांक 23.09.2020

अनवान

1. मदनलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शम्भुलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरलाल पिता होकमीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. जगदीश पिता होकमीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. कजोड़ी पत्नि माधू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मांगीबाई पुत्री माधू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रबन्धक महोदय भी.अ.क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... मदयूनान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 16 / 07 / 2024
डिक्री दिनांक : 16 / 07 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉं बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश शर्मा एकपक्षीय हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

लगातार पेंज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
01	जगदीश मदनलाल भंवरलाल शंभूलाल पिता होकमीचन्द धाकड सा. बेरीसाल रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियां	बेरीसाल	366/1	0.7082
	योग		**किता 1**	**0.7082**
02	मांगीबाई पुत्री माधु कजोडी पत्नी स्व. माधु धाकड़ सा. बेरीसाल रहन भी.अ.क्षे.ग्रा. बैंक शाखा सलावटियां	बेरीसाल	366/2	0.7082
	योग		**किता 01**	**0.7082**

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आंज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2024 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 16 /07/2024 को मुर्तिब की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां